



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

दूरभाष : 06553-261555 (o)

Email : dc-ramgarh@gov.in

(प्रमाण पत्र)

पत्रांक...../क०,

दिनांक...../...../2022

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-सोसोकलां में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी) तक चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण हेतु हेतु प्राप्त प्रस्तावित भूमि के अपयोजन हेतु ग्रामसभा की गई है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ग्राम सभा की तिथि	ग्राम	थाना	भूमि का किस्त				रकबा
					खाता	प्लॉट	अधिसूचित वनभूमि (हे०में)	गै०म०खा० जंगल (हे०में)	
1.	ग्राम-सोसोकलां में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी) तक चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण हेतु	30.09.2021	सोसोकला	58		186	0.2551	-	0.2551
कुल									0.2551 हे०

- उपयुक्त वनभूमि जो ग्राम-सोसोकलां में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी) तक चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण का रकबा 0.2551 हे० अधिसूचित वनभूमि में निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement Of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा। मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यस्थापित कर दी गई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा(1)(c) के अनुसार विशेष रूप के रक्षित किया गया है।

81-

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक1447.../क०, रामगढ़, दिनांक28.../10.../2022

- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, गोला को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रराधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

साध्वी शिखा
20/10/2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Project Director
NHAI, PIU, Dhanbad



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

दूरभाष : 06553-261555 (o)

Email : dc-ramgarh@gov.in

(प्रमाण पत्र)

पत्रांक..... / क०,

दिनांक..... / / 2022

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम- ब्राहमनसंगातु, चक्रावली, चोपादारु, डभातु, हेमतपुर, मगनपुर एवं रोला में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण/चारलेन निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावित भूमि के अपयोजन हेतु ग्रामसभा की गई थी, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था। (पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या 879, दिनांक 23.11.2021 को रद्द करते हुए पुनः प्रस्तावित FRA/NOC निर्गत किया जाता है।) जो भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	ग्राम सभा की तिथि	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना	खाता	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकबा
							अधिसूचित वन भूमि	गै०म०खा० जंगल	
							(हे० में)	(हे० में)	
1	14.08.2021	ग्राम— ब्राहमनसंगातु, चक्रावली, चोपादारु, डभातु, हेमतपुर, मगनपुर एवं रोला में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण हेतु	ब्राहमनसंगात	67	2	718	0.6022	-	0.6022
2	13.08.2022		चक्रावली	61	30	17	1.2108	-	1.2108
3	13.08.2022		चोपादारु	68	55	200	0.9432	-	0.9432
						229	1.5409	-	1.5409
						241	0.933	-	0.933
						410	-	0.2550	0.2550
						420	-	0.1740	0.1740
						425	0.0789	-	0.0789
						246	0.6431	-	0.6431
						252	2.9289	-	2.9289
						278	0.8996	-	0.8996
						102	-	0.3107	0.3107
						124	2.958	-	2.958
						46	1.2322	-	1.2322
						86	-	0.1304	0.1304
						98	-	0.2852	0.2852
4	23.09.2021		डभातु	25	63	520	-	1.8249	1.8249
5	23.09.2021		हेमतपुर	52	47	828	-	0.2449	0.2449
6	14.08.2021		मगनपुर	62	89	792	-	0.5092	0.5092
						94	-	0.1596	0.1596
7	14.08.2021		रोला	64	01	1592	0.6058	-	0.6058
कुल							18.5005	18.5005	

- उपयुक्त वनभूमि जो ग्राम- ब्राहमनसंगातु, चक्रावली, चोपादारु, डभातु, हेमतपुर, मगनपुर एवं रोला में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण/चारलेन निर्माण का रकबा 18.5005 हे० अधिसूचित वन भूमि / गै०म०खा० जंगल भूमि में निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी के

81

मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement Of Rights को प्राकृत्य पूरा कर ली गई है। इस सबध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा। मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यस्थापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा(1)(c) के अनुसार विशेष रूप के रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक1439.../क०, रामगढ़, दिनांक22.../10.../2022

- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, गोला को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्तीलिपि
22.10.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

दूरभाष : 06553-261555 (0)

Email : dc-ramgarh@gov.in

(प्रमाण पत्र)

पत्रांक...../कव

दिनांक...../...../2022

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-ब्यांग एवं पांचा में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चौड़ीकरण/चारलेन निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावित भूमि के अपयोजन हेतु ग्रामसभा की गई है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं०	परियोजना का नाम	ग्राम सभा की तिथि	ग्राम	थाना	भूमि का किस्त				रकबा
					खाता	प्लॉट	अधिसूचित वनभूमि (हे०में)	गै०म०खा० जंगल (हे०में)	
1.	ग्राम-ब्यांग एवं पांचा में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण	30.09.2021	पांचा	139	01	424	1.9257	—	1.9257
		04.10.2021	ब्यांग	167	83	510	—	0.3331	0.3331
कुल									2.2588 हे०

- उपयुक्त वनभूमि जो ग्राम-ब्यांग एवं पांचा में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चौड़ीकरण/चारलेन निर्माण का रकबा 2.2588 हे० अधिसूचित वनभूमि/ गै०म०खा० जंगल भूमि में निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement Of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा। मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यस्थापित कर दी गई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा(1)(c) के अनुसार विशेष रूप के रक्षित किया गया है।
- प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी

6

(वनआधिकारों की मान्यता) अधोनेयम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्राक्रेया पूण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक1440.../क०, रामगढ़, दिनांक22.../...10.../2022

- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, गोला को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

ठाधवीक्षित
22.10.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एन.एच.ए.आई.
कॉम्प्लेक्स, कान्द्रा, पोस्ट भीतीया, थाना गोविन्दपुर, धनबाद-८२८१०६ (झारखण्ड)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Office of the Project Director, Project Implementation Unit, NHAI Complex
Kandra, P.O. Bhitia, P.S. Govindpur, Dhanbad-828109 (Jharkhand)
Ph. : 06540-283090, E-mail : dhan@nhai.org / nhaidhanbad@yahoo.in



**UNDERTAKING FOR FRA NOC OF PLOT NO. 1622 & 1624 OF BONGOI MOUZA AND
PLOT NO. 439 OF PANCHI MOUZA UNDER RAMGARH DIVISION FOR FOREST
PROPOSAL NO. FP/JH/ROAD/146250/2021 DT. 21.08.2021 :-**

After issuance of FRA for plot no. 1622 & 1624 of Bongoi mouza and plot no. 439 of Panchi mouza under Ramgarh district by Dy. Commissioner, Ramgarh FRA NOC will be submitted to Forest Division, Ramgarh.

Sudhir Kumar
(Sudhir Kumar)
Project Director

**Project Director
NHAI, PIU
Dhanbad**